



जनता से रिश्ता

www.jantaserishta.com

नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 लाख से अधिक टेबलेट हुई बरामद



चंडीगढ़। स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार एफ.डी.ए. की सहायक राज्य औषधि नियंत्रक रिपन मेहता की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। जिसमें वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी अंबाला सुनील दहिया एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी पंचकूला को शामिल किया गया। मुखबिर की निशानदेही पर टीम अलीपुर बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 102 पर स्थित क्यूबिक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड पर पहुंची। तलाशी के दौरान 3 लाख से अधिक टेबलेट, जिनके ब्रांड का नाम K2 A11 है और इसमें कैल्शियम सितरेट विटामिन D3 मिथाइल कोबालामिन विटामिन K27 जिंक तथा मैग्नीशियम नामक सक्रिय तत्व होने का लेबल लगा है। उपरोक्त दवा की बाजार में कीमत 5,69,940 आंकी गई है। इस दवा पर निर्माता का नाम रिलीव फार्मास्यूटिकल्स खसरा नंबर 2032/1 विलेज चांदपुर जिला उना हिमाचल लिखा है। यह रिलीव फार्मा का नकली माल दिल्ली बवाना से आया बताया गया है। इसको बेचने वाले का पता C137 सेक्टर 1 DSIDC बवाना दिल्ली 110039, बताया गया है और इसका बिल भी टीम के हाथ लगा है।

नकली दवा बनाने व बेचने पर होगा, 7 साल का कारावास और 3 गुना जुर्माना रिलीव फार्मा चांदपुर ऊना के पार्टनर सुकेश चंद्र ने टीम को बताया कि उसकी कोई फैक्ट्री या ऑफिस बवाना दिल्ली में नहीं है। टीम ने मौके से उपरोक्त दवा का नमूना जांच हेतु भर लिया और बाकी शेष माल फर्द बनाकर अपने कब्जे में कानूनी कार्रवाई हेतु ले लिया है। दिल्ली ड्रग विभाग को सूचना दे दी गई है, ताकि सारे रैकेट का भंडाफोड़ हो सके। विदित रहे नकली दवा बनाने व बेचने के जुर्म की सजा 7 साल कारावास और जब्त दवा की कीमत से 3 गुना जुर्माना है। गत दिनों में विभाग के द्वारा पकड़ी गई नकली कॉस्मेटिक्स तथा दवाएं बनाने वाली पांचवीं फैक्ट्री है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे अपराध करने वालो को कड़ी चेतावनी दे रखी है।

Source: <https://jantaserishta.com/local/haryana/fake-medicine-factory-busted-more-than-3-lakh-tablets-recovered-1448586>